

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2017 का आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.1174

वर्ष-2014 के थाना वाद सं.-545, थाना-हाजीपुर सदर, जिला-वैशाली से उद्भूत।

=====

1. चंदेश्वर राय, पुत्र- स्वर्गीय सोनेलाल राय
2. भरत राय, पुत्र-चंदेश्वर राय
3. रामनाथ राय, पुत्र सोनेलाल राय

ग्राम के निवासी (सभी) चुकुंडा उर्फ मिल्की, थाना-सदर हाजीपुर, जिला-वैशाली

अपीलकर्ता/अपीलकर्तागण

बनाम

बिहार राज्य

..... उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

=====

साथ

2017 का आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 1124

वर्ष-2014 के थाना वाद सं.-545, थाना-हाजीपुर सदर, जिला-वैशाली से उद्भूत।

=====

1. अमरदीप राय उर्फ अमरदीप राय, पुत्र-गुलाब राय,
2. गुलाब राय, पुत्र-स्वर्गीय सोनेलाल

निवासी (दोनों) गांव-चुकुंडा उर्फ मिल्की, थाना-सदर हाजीपुर, जिला-वैशाली

अपीलकर्ता/अपीलकर्तागण

बनाम

बिहार राज्य

प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण

=====

साथ

2017 का आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 1173

वर्ष-2014 के थाना वाद सं.-545, थाना-हाजीपुर सदर, जिला-वैशाली से उद्भूत।

=====

1. राम भाग राय, पुत्र-स्वर्गीय भोला राय
2. विजय राय, पुत्र- स्वर्गीय बिंदेश्वर राय
3. दिलीप राय, पुत्र- स्वर्गीय बिंदेश्वर राय
4. अशोक राय, पुत्र-स्वर्गीय बिंदेश्वर राय
5. रंजीत राय, पुत्र-विजय राय

ग्राम के निवासी (सभी)- चुकुंडा उर्फ मिल्की, थाना-सदर हाजीपुर, जिला-वैशाली

अपीलकर्ता/अपीलकर्तागण

बनाम

बिहार राज्य

..... उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

=====

साथ

2017 का आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 1207

वर्ष-2014 के थाना वाद सं.-545, थाना-हाजीपुर सदर, जिला-वैशाली से उद्भूत।

=====

प्रदीप राय, पुत्र- गुलाब राय, गाँव के निवासी-चुकुंडा मिल्की, थाना-हाजीपुर सदर, जिला-
वैशाली

अपीलकर्ता/अपीलकर्तागण

बनाम

बिहार राज्य

..... उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

=====

उपस्थिति:

(2017 के आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 1174 में)

अपीलार्थी के लिए : श्री एन. के. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता,
श्री अरविंद कुमार, अधिवक्ता,
श्री कुमार राजदीप, अधिवक्ता
सुश्री दीक्षा कुमारी, अधिवक्ता
श्री अनिल कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी/गण के लिए : श्री दिलीप कुमार सिन्हा, स.लो.अभि.

(2017 के आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 1124, 1173 और 1207 में सभी)

अपीलार्थी/गण के लिए : श्री बख्शी एस. आर. पी. सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री प्रेम रंजन कुमार, अधिवक्ता

प्रतिवादीगण के लिए : श्री अभिमन्यु शर्मा, स.लो.अभि.

=====

अपील -सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय के खिलाफ दायर की गई, जिसमें अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 302, 307 और 149 के तहत विभिन्न अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया।

निर्णय -किसी व्यक्ति को आईपीसी की धारा 149 के तहत दोषी ठहराने के लिए पूर्व आवश्यकताएं हैं: (i) पहला, यह कि अभियुक्त को उस सामान्य उद्देश्य में भागीदार होना चाहिए जो पूरी सभा का उद्देश्य था। (ii) दूसरा, अभियोजन पक्ष को यह सिद्ध करना होगा कि वे अभियुक्त व्यक्ति इस बात से अवगत थे कि सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपराध किए जा सकते हैं। (पैरा 53) अपराध के दोनों तत्व अनुपस्थित हैं। (पैरा 54) इसलिए, आईपीसी की धारा 149 के तहत सभी अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि अनुचित है। (पैरा 59)

मृतक की हत्या के इरादे को एंटे-मोर्टेम चोटों से नहीं जोड़ा जा सकता। (पैरा 65)

यह पूर्व-नियोजन का मामला नहीं था। यह अचानक हुई लड़ाई थी। (पैरा 70)

अपीलकर्ता का मामला आईपीसी की धारा 300 के अपवाद 4 के अंतर्गत आता है, जिससे किए गए अपराध को हत्या न होकर, आपराधिक मानव वध माना गया है, जो आईपीसी की धारा 304 के तहत दंडनीय है। (पैरा 71)

मृतक के शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर नुकीले हथियार से चोट पहुंचाने के लिए, लेकिन उसे अंधा करने के किसी इरादे के बिना, अपराध हमारे विचार में आईपीसी की धारा 326 के अंतर्गत आता है। (पैरा 72)

अपीलकर्ताओं की सजा को उनके पहले ही बिताई गई अवधि में परिवर्तित किया गया। (पैरा 79, 80)

शेष अपीलकर्ताओं की हिरासत की अवधि, उनके लिए आईपीसी की धारा 323 के तहत अपराध के लिए निर्धारित सजा होगी। (पैरा 82)

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री नानी टैगिया

मौखिक निर्णय

(निर्णय: द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार)

तिथि : 11-01-2024

चारों अपीलों की एक साथ सुनवाई की गई है और इस सामान्य निर्णय द्वारा उनका निपटारा किया जा रहा है।

2. श्री एन. के. अग्रवाल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, 2017 की आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 1174 में अपीलार्थियों की ओर से पेश हुए हैं, जबकि श्री बख्शी एस. आर. पी. सिन्हा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 1124, 1173 और 1207 में सभी 2017 को अपीलार्थियों की ओर से पेश हुए हैं।

3. राज्य का प्रतिनिधित्व क्रमशः श्री दिलीप कुमार सिन्हा और श्री अभिमन्यु शर्मा ने किया है, जो राज्य के लिए विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक हैं।

4. पूर्व-उल्लिखित चार अपीलों में कुल मिलाकर ग्यारह अपीलकर्ताओं ने 2014 के हाजीपुर सदर थाना मामला संख्या 545 से उत्पन्न 2016 के सत्र परीक्षण संख्या 245 में हाजीपुर में विद्वान अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश-IV, वैशाली द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें 2017 की आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 1207 के अपीलकर्ता/प्रदीप राय को में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (संक्षेप में, भा.दं.सं.) के तहत दोषी ठहराया गया है और उन्हें आजीवन कठोर कारावास की से गुजरने की सजा सुनाई गई है, एवं रु.15,000/- अर्थ दंड लगाया गया है, जुर्माने का भुगतान न करने पर और को एक वर्ष के लिए साधारण कारावास की सजा दी गई है। बाकी अपीलार्थियों को भा.दं.सं. की

धाराओं 302/149 के तहत दोषी ठहराया गया है और उन्हें आजीवन कठोर कारावास से गुजरने की सजा सुनाई गई है, रु.15,000/- का जुर्माना प्रत्येक के लिए और जुर्माने के भुगतान की चूक में, आगे एक वर्ष के लिए साधारण कारावास की सजा भुगताना होगा। सभी अपीलार्थियों को भा.दं.सं. की धारा 307/149 और पूर्व-उल्लिखित अपराध, के लिए उन्हें दस साल के लिए कठोर कारावास से गुजरने की सजा सुनाई गई है, प्रत्येक को रु.5,000/- का जुर्माना देने और जुर्माने का भुगतान करने में विफल रहने पर, आगे छह महीने के लिए कारावास भुगताना होगा।

5. सजा को साथ-साथ चलाने का आदेश दिया गया है।

6. यह ध्यान दिया जाए कि अपीलार्थी/प्रदीप राय [2017 की आपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 1207] को छोड़कर, अन्य अपीलार्थियों को भा.दं.सं. की धारा 149 की सहायता से दोषी ठहराया गया है।

7. आरोप है कि एक इंद्र राय (इनर राय के रूप में वर्तनी) को अपीलार्थियों के हाथों मार दिया गया था। उसके चचेरे भाई/योगेंद्र राय (अभि-साक्षी 9), जो इस मामले के सूचक हैं, ने आरोप लगाया था कि अपीलार्थी, भारत राय, जो *शीशम* का पेड़ काट रहे थे, के खिलाफ मृतक के विरोध पर, अपीलार्थी/चंदेश्वर राय और विजय राय क्रोधित हो गए और अन्य अपीलार्थियों को मृतक को मारने का आदेश दिया। ऐसे आदेशों पर, अपीलार्थी/प्रदीप राय ने तलवार के माध्यम से मृतक के सिर पर हमला किया, जिसके परिणामस्वरूप, वह बेहोश हो गया। अपीलार्थी/भरत राय के बारे में कहा जाता है कि तब उन्होंने मृतक की एक आंख में लोहे की छड़ भोंक दी। रामेश्वर राय नामक व्यक्ति की पत्नी पर भी विशेष रूप से आरोप लगाया गया था कि उसने मृतक पर लोहे की छड़ से हमला किया था (उस पर कभी मुकदमा नहीं चलाया गया था)। जब हमला हो रहा था तब योगेंद्र राय (अभि. साक्षी 9) घटना स्थल पर पहुंचे थे। सूचक और मृतक के परिवार के सदस्य, जैसे चंदन कुमार (अभि साक्षी 2), रंजीत राय (अभि साक्षी 5) और राजू राय (जांच नहीं की गई) मृतक को बचाने

के लिए आए, लेकिन उन पर भी हमला किया गया। इंदर राय (मृतक) को प्राथमिक चिकित्सा के लिए सदर अस्पताल हाजीपुर लाया गया, जिसके बाद पी.एम.सी.एच., पटना संप्रेषित किया गया। घायल हुए दो अन्य व्यक्तियों रघुनाथ राय (अभि साक्षी 8) और रंजीत राय (अभि साक्षी 5) को भी पटना के उच्च केन्द्र में भेजा गया। पटना जाते समय रास्ते में मृतक की मौत हो गई।

8. पूर्व-उल्लिखित के आधार पर योगेंद्र राय (अभि साक्षी 9) का *फरदबेयन* बयान, जो 10:30 बजे शाम में 16.11.2014 को पुलिस उप-निरीक्षक और हाजीपुर नगर पुलिस थाने के प्रभारी विजय कुमार चौधरी द्वारा दर्ज किया गया था, आई. पी. सी. की धारा 147,148,149,341,323,324,307,302 और 506 के तहत अपराधों की जांच के लिए 2014 का हाजीपुर सदर थाना मामला संख्या 545 के माध्यम से एक मामला दर्ज किया।

9. हालांकि, प्राथमिकी का पंजीकरण केवल 18.11.2014 को किया गया था। इसके लिए कोई स्पष्टीकरण प्रतीत नहीं होता है सिवाय इस तथ्य के कि मृत शरीर का 07:45 बजे सुबह 17.11.2014 को पोस्टमार्टम किया गया था। भले ही प्राथमिकी के औपचारिक पंजीकरण में पोस्टमार्टम परीक्षा नहीं किए जाने के कारण देरी हुई हो, लेकिन इसे 17.11.2014 को पंजीकृत किया जाना चाहिए था।

10. कुछ अपीलार्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बख्शी एस. आर. पी. सिन्हा ने तर्क दिया है कि प्राथमिकी पंजीकरण में इतनी देर होने की स्थिति में वह यह तर्क देने का हकदार होगा कि योगेंद्र राय (अभि.साक्षी 9) द्वारा दिए गए मूल कथन को औपचारिक प्राथमिकी पंजीकृत होने पर काफी हद तक बदल दिया गया था। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने अवधेश कुमार (अभि.साक्षी 1) के बयान का उल्लेख किया है, जो कोई और नहीं बल्कि मृतक के दामाद हैं, जिन्होंने कहा है कि उन्हें 02:30 बजे शाम में 16.11.2014 को अपने ससुर की मृत्यु की खबर मिली थी। यह अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुरूप नहीं है क्योंकि (अभि.साक्षी 9) के अनुसार मृतक की मृत्यु केवल 16.11.2014 की

रात में हुई थी। वास्तव में यह घटना 3 बजे शाम में 16.11.2014 को हुई थी। उन्होंने (अभि.साक्षी 1) ने आगे कहा है कि अभि. साक्षी 9 ने अपना बयान दर्ज कराया था, जिसे अस्पताल में *फरदबेयान* (प्रदर्श-1) के रूप में किया गया था, लेकिन शुरू में हाजीपुर अस्पताल में मृतक को कोई इलाज नहीं दिया गया था और मृतक, जो अभी भी जीवित था, उसे पी.एम.सी.एच., पटना भेजा गया था। रास्ते में, मृतक की मृत्यु हो गई थी और उसके मृत शरीर को वापस लाया गया था, लेकिन अभि.साक्षी 1 के अनुसार, फरदबेयान, मृतक की मृत्यु के अगले दिन, यानी 17.11.2014 को दिया गया था।

11. मृतक के दामाद के पूर्व-उल्लिखित बयान से समर्थ (मजबूत) होते हुए, श्री बख्शी, विद्वान वरिष्ठ वकील में सुझाव दिया है कि अभियोजन साक्षी 1 का यह असंगत बयान कम-से-कम प्राथमिकी में आरोप को अत्यधिक संदिग्ध एवं संदेहजनक बनाता है एवं जिस पर अन्तर्निहित भरोसा नहीं यिका जा सकता है।

12. पूर्व-उल्लिखित आपति का उल्लेख हमने निर्णय की शुरुआत में केवल इस कारण से किया है कि यह निराधार है।

13. अभि.साक्षी 1 द्वारा इस कारण से दिए गए ऐसे बयानों के संबंध में विश्वास न करने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है कि फरदबेयान स्पष्ट रूप से 16.11.2014 की रात में दर्ज किया गया है, जिस पर अभि.साक्षी 1 द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है। इस प्रकार, यह कहने के लिए कि अभि.साक्षी 9 द्वारा 16.11.2014 1 की रात को दिए गए मूल बयान को काफी हद तक बदल दिया गया था और यह कहने का आधार कि प्राथमिकी का देर से पंजीकरण और अभि.साक्षी 1 का बयान कि अभि.साक्षी 9 ने मृतक की मृत्यु के अगले दिन ही अपना बयान दिया था, बिल्कुल गलत है। अभि.साक्षी 1, शायद, अभियोजन की समय-सीमा के संबंध में उनका विचार अस्पष्ट था।

14. विवरण पर वापस आते हुए, पुलिस ने मामले की जांच के बाद, अपीलार्थियों के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया, जिन पर मुकदमा चलाया गया था।

15. विचारण न्यायालय अभियोजन पक्ष की ओर से चौदह गवाहों से पूछताछ करने के बाद अपीलार्थियों को दोषी ठहराया है और उपरोक्त के अनुसार सजा सुनाई है।

16. हमने देखा है कि जाँच रिपोर्ट, जो कि 16.11.2014 की रात में तैयार की गई प्रतीत होती है (विजय कुमार चौधरी/अभि.साक्षी 12 के बयान को संदर्भित करती है) को रिकॉर्ड में नहीं लाया गया है।

17. कि प्राथमिकी 16.11.2014 की रात को हाजीपुर अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में पंजीकृत किया गया था, जो सिद्ध होता है भले ही मृतक को पी.एम.सी.एच., पटना को भेजे जाने का कोई दूसरा साक्ष्य नहीं था एवं और मृतक की पटना जाते समय मृत्यु हो गई थी, जो कि एक अलग पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में पड़ गया होगा, क्योंकि शव को हाजीपुर अस्पताल में वापस लाया गया था।

18. पूर्व-उल्लिखित कथन की शुद्धता के संबंध में कुछ संदेह व्यक्त किए जा सकते थे क्योंकि यदि रोगी की मृत्यु हो जाती तो उसे फिर से हाजीपुर के अस्पताल ले जाने का कोई कारण नहीं था और मृतक को घर वापस ले जाने की उम्मीद करने की पूरी संभावना थी, लेकिन फिर, हम अनुमान लगाते हैं कि शायद किसी भी डॉक्टर द्वारा मृत्यु की घोषणा की जानी चाहिए थी।

19. मामले के किसी भी दृष्टिकोण से, इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि मृतक की मृत्यु 16.11.2014 की रात में हुई थी क्योंकि अन्य साक्ष्य पूर्व-उल्लिखित तथ्य की पूरी तरह से पुष्टि करते हैं।

20. अभि. साक्षी 9 (सूचक) के बयान की जाँच से पता चलता है कि उसने पी. ओ. से कुछ शोर सुना था, जिस पर वह पी. ओ. तक पहुँचा। दूरी पाँच मिनट में पार कर ली गई थी। वह दावा करता है कि उसने अपीलार्थी/प्रदीप राय को मृतक पर तलवार चलाते देखा है। उन्होंने अपीलार्थी/भरत राय को मृतक की एक आंख में लोहे की छड़ छेदते हुए भी देखा। वास्तव में, वह पी. ओ. में हर समय मौजूद रहने का दावा करता है, लेकिन

किसी न किसी तरह उसने हमला नहीं किया है। मृतक को बचाने आए चार लोगों को मामूली चोटें आई हैं।

21. तथापि, ध्यान देने योग्य बात यह है कि अभि.साक्षी 9 ने प्राथमिकी में और विचारण न्यायालय के समक्ष उनके बयान में बहुत सुसंगत रहा है कि सभी अभियुक्त व्यक्तियों/अपीलार्थियों ने मृतक को निर्दयता से पीटा था। इस संदर्भ में यह कहना भी प्रासंगिक होगा कि अभि.साक्षी 9 मृतक का चचेरा भाई होने के नाते अपीलार्थी एवं मृतक के बीच किसी भी विवाद के बारे में नहीं जानता था। वास्तव में, पी. ओ., भूमि का एक हिस्सा जिस पर कुछ *शीशम* के पेड़ लगे थे, जहां तक इसके स्वामित्व का संबंध था, विवाद में नहीं था। कम-से-कम, विचारण न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत भूमि के स्वामित्व के तरह ऐसी भूमि पर लगे पेड़ों के संबंध में कोई सबूत नहीं दिया गया है।

22. इसलिए, यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि पेड़ के स्वामित्व पर विवाद और मृतक द्वारा अपीलार्थी/भरत राय को उसे काटने से रोकने के कारण, यह घटना हुई थी।

23. दूसरा सवाल जो हमें उत्तेजित करता है वह यह है कि क्या मृतक द्वारा इस तरह की आपत्ति ने सभी अपीलार्थियों को इस हद तक क्रोधित किया होगा कि उन्होंने मृतक पर हमला कर बुरी दशा (भुरता बना देता) कर दिया था।

24. हमने नोट किया है कि अपीलकर्ताओं में से कोई भी किसी भी घातक हथियार से लैस नहीं था, सिवाय अपीलार्थी/प्रदीप राय के, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह तलवार से लैस था। चोट जो घातक साबित हुई है और जो स्पष्ट रूप से अपीलार्थी/प्रदीप राय के लिए आरोप है, एक कठोर और कुंद पदार्थ के कारण हो सकता है के बीच के हिस्से में सिर केवल एक चोट थी, जिसके परिणामस्वरूप मस्तिष्क को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा। खोपड़ी टूट गई थी।

25. अभि.साक्षी 9 ने निचली अदालत के समक्ष स्पष्ट रूप से कहा था कि अपीलार्थी/भरत राय द्वारा किए गए हमले के कारण मृतक की एक आंख सोकेट (कोटर) से बाहर आ गई थी।

26. यह भी पूरी तरह से गलत पाया गया है।

27. आँखों के पास चोट के निशान थे और डॉ. शैलेंद्र कुमार वर्मा (अभि.साक्षी 7), जिन्होंने *पोस्टमॉर्टम* की जाँच की थी, ने विशेष रूप से इस प्रश्न का उत्तर दिया है कि उन्होंने यह नहीं पाया कि मृतक की एक आँख अंधी हो गई थी। सिर पर चोट के अलावा जो अपने आप में किसी भी व्यक्ति की मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी, आंख के पास एक चोट और शरीर पर एक और चोट थी जो प्रकृति में सरल था।

28. हमने अभि.साक्षी 9 के बयान का उल्लेख किया है क्योंकि वह इस बात पर जोर दे रहा था कि उसने हमले को करीब से देखा था और मृतक पर पंद्रह लोगों ने बुरी तरह से हमला किया था। यदि मृतक को लगी चोटों (*पूर्व-शव परीक्षण*) के संदर्भ में देखा जाए तो यह असत्य प्रतीत होता है।

29. हमने उस भूमि के स्वामित्व का उल्लेख किया है जिस पर शीशम के पेड़ लगे थे, यदि अपीलकर्ताओं द्वारा साझा किया जाता है, तो सामान्य उद्देश्य के संबंध में अभियोजन पक्ष के संस्करण की शुद्धता का परीक्षण करने के कारण। यह अभि-साक्षी 9 की जानकारी में नहीं था कि भूमि के उस प्रश्नगत हिस्से में कोई विवाद था जिस पर विचाराधीन पेड़ खड़ा था।

30. मृतक की भूमि के स्वामित्व के बारे में किसी भी सबूत के अभाव में, किसी के लिए भी, बहुत कम निचली अदालत के लिए, यह मान लेना मुश्किल है कि उस पेड़ की कटाई और मृतक के प्रत्यारोप के संबंध में गंभीर आपत्ति थी जो मृतक के हत्या का कारण बना।

31. इसके अलावा, अपीलार्थी/भरत राय एक पेड़ काट रहे थे। अगर उस उद्देश्य के लिए, वह एक तलवार ले जा रहा था, तो कहानी असंभव प्रतीत होगी। एक मोटा पेड़ तलवार से नहीं काटा जाएगा। मामले के किसी भी दृष्टिकोण से, यदि उस पर मृतक को मारने के लिए तलवार का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया जाता है, तो चोटें नेत्र संबंधी गवाही के अनुरूप नहीं हैं।

32. क्या वह चुपके से पेड़ काट रहा था? हम नहीं जानते।

33. यदि यह चुपके से पेड़ के ढूँठ की कटाई के लिए नहीं था, तो किसी भी हमले या किसी भी व्यक्ति द्वारा उसे पेड़ की कटाई से रोकने के लिए किसी भी तैयारी का कोई कारण नहीं था।

34. हम ऐसा इस कारण से कहते हैं कि हम किसी भी साझा वस्तु को इकट्ठा नहीं कर पाए हैं। एकमात्र उद्देश्य, शायद, जिसे आसपास की परिस्थितियों से एकत्र किया जा सकता है, वह अपीलार्थी/भरत राय एक पेड़ गिराने वाला था। यह कि पेड़ को नहीं काटा गया था, फिर से इस तथ्य का प्रमाण है कि अपीलकर्ताओं ने मृतक द्वारा अपीलार्थी/भरत राय को पेड़ को काटने से रोकने के खिलाफ इतना हिंसक विरोध करने के बावजूद, अंततः पेड़ को नहीं काटा गया था। इस मामले के जांच अधिकारी ने पेड़ को छोटे निशानों के साथ खड़ा पाया जो इसे काटने के प्रयास का संकेत देता है। यह अनुमान लगाया जाता है कि अपीलार्थी/भरत राय द्वारा एक पेड़ गिराने की कोशिश के कुछ ही समय के भीतर, एक विरोध हुआ और उसके बाद, लड़ाई हुई।

35. ये पृष्ठभूमि तथ्य केवल इस परीक्षण के कारण बताए गए हैं कि क्या सभी अपीलार्थियों ने मृतक की हत्या का कोई सामान्य उद्देश्य साझा किया था।

36. इस संदर्भ में, हम भा.दं.सं. की धारा 141 का उल्लेख करना उचित समझते हैं, जो "गैरकानूनी सभा" को परिभाषित करती है, जो इस प्रकार है:

“141. गैरकानूनी सभा पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों की एक सभा को “गैर कानूनी सभा”, नामित किया जाता है। यदि उस सभा की रचना करने वाले व्यक्तियों का सामान्य उद्देश्य है-

प्रथम-आपराधिक बल, या आपराधिक बल के प्रदर्शन से भयभीत होना, [केंद्र या किसी राज्य सरकार या संसद या किसी राज्य के विधानमंडल], या किसी लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक की विधिसम्मत शक्ति का प्रयोग करते हुए; या

दूसरा-किसी कानून या किसी कानूनी प्रक्रिया के निष्पादन का विरोध करना; या

तीसरा-कोई शरारत या आपराधिक अतिचार, या अन्य अपराध करना; या

चौथा -आपराधिक बल के माध्यम से, या आपराधिक बल के प्रदर्शन के माध्यम से, किसी भी व्यक्ति को किसी भी संपत्ति को लेने या प्राप्त करने के लिए, या किसी भी व्यक्ति को आनंद के अधिकार के रास्ते से वंचित करने के लिए, या पानी या अन्य अमूर्त अधिकार के उपयोग के लिए, जिसके कब्जे या आनंद में वह है, या किसी भी अधिकार या कथित अधिकार को लागू करने के लिए; या

पाँचवाँ-आपराधिक बल, या आपराधिक बल के प्रदर्शन के माध्यम से, किसी भी व्यक्ति को वह करने के लिए मजबूर करना जो वह कानूनी रूप से करने के लिए बाध्य नहीं है, या वह करने के लिए छोड़ देना जो वह कानूनी रूप से करने का हकदार है।

37. संहिता आगे बताती है कि एक सभा जो गैरकानूनी नहीं थी, जब यह इकट्ठा होती है, तो बाद में एक गैरकानूनी सभा बन सकती है।

38. इस प्रकार, एक सभा को गैरकानूनी घोषित करना अवैध उद्देश्यों के लिए आपराधिक बल का प्रदर्शन होना चाहिए, जैसे कि किसी भी संपत्ति का कब्जा लेना या प्राप्त करना या किसी भी व्यक्ति को उस संपत्ति से वंचित करना।

39. भूमि या पेड़ के स्वामित्व पर किसी भी विवाद के संबंध में किसी भी सबूत के अभाव में, अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि अपीलार्थी/भरत राय का शुरुआत में मृतक की हत्या करने का उद्देश्य थोड़ा अधिक होगा। प्रश्नगत भूमि पर खड़े पेड़ों के संबंध में पहले कोई विवाद नहीं था। मृतक से बहुत कम किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी विरोध की कोई उम्मीद नहीं थी।

40. क्या मृतक विशेष रूप से अपीलार्थी/भरत राय को पेड़ काटने से रोकने के लिए वहाँ गया था?

41. चूंकि अपीलार्थी/प्रदीप राय द्वारा प्रहार करने के समय मृतक गंभीर रूप से घायल हो गया था, इसलिए यह जानने के लिए कोई स्रोत नहीं है कि मृतक पी. ओ. में क्यों और कैसे पहुंचा था।

42. अपीलार्थियों/चंद्रेश्वर राय और विजय राय के उपदेशात्मक आह्वान पर कहा जाता है कि बहुत लोग आ गए हैं, जिनके नाम प्राथमिकी में हैं।

43. क्या वे तब साथ थे जब अपीलार्थी/भरत राय ने पेड़ काटना शुरू कर दिया था या वे सभी अपीलार्थी/चंद्रेश्वर राय और विजय राय के बुलावे पर आए थे?

44. क्या वे घात में खड़े थे?

45. सबूतों में पूरी तरह से कमी है।

46. यह मानते हुए कि वे सभी उपरोक्त दो अपीलार्थियों के आह्वान पर आए थे, क्या उन्होंने मृतक की हत्या का उद्देश्य साझा किया?

47. इस आशय का कोई प्रमाण नहीं है।

48. साक्ष्य किसी भी लड़ाई के लिए किसी भी तैयारी का संकेत नहीं देते हैं।

49. फिर भीड़ एक साझा उद्देश्य क्यों साझा करेगी और वह भी एक अकेले व्यक्ति को मारने का, जिसने शायद पेड़ की कटाई पर आपत्ति जताई थी।

50. इस पृष्ठभूमि में, यह केवल पूर्णता के लिए होगा कि हम भारतीय दंड संहिता की धारा 149 निकालते हैं, जिसका दूसरा भाग बेशक कड़ा है। यह एक गैरकानूनी सभा के सभी सदस्यों के लिए सजा का प्रावधान करता है, यदि सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में कोई अपराध किया जाता है।

51. भारतीय दंड संहिता की धारा 149 इस प्रकार है:

“149. गैरकानूनी सभा का प्रत्येक सदस्य सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किए गए अपराध का दोषी है। -यदि कोई अपराध किसी उस सभा के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में किसी गैरकानूनी सभा के किसी सदस्य द्वारा किया गया है, या जैसे कि उस सभा के सदस्यों को पता था कि उस उद्देश्य के अभियोजन में किए जाने की संभावना है, प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध को करने के समय उसी सभा का सदस्य है, उस अपराध का दोषी है।”

52. इस खंड के दो भाग हैं। पहला उन मामलों से संबंधित है जिनमें सभा के किसी भी सदस्य द्वारा उस सभा के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में अपराध किया जाता है। दूसरा भाग उन मामलों से संबंधित है जहां किसी दिए गए अपराध का कार्य गैरकानूनी सभा का सामान्य उद्देश्य अपने आप में नहीं था, बल्कि ऐसी सभा के सदस्य जानते थे कि सभा के सामान्य उद्देश्य के अभियोजन में भी ऐसा ही होने की संभावना है।

53. भा.दं.सं.की धारा 149 के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए, अतः पूर्वापेक्षाएँ हैं: (i) सबसे पहले, कि अभियुक्त को एक सामान्य उद्देश्य साझा करना चाहिए जो पूरी सभा के विचार में था और (ii) दूसरा, कि अभियोजन पक्ष को यह साबित

करने की आवश्यकता है कि वे अभियुक्त व्यक्ति उक्त सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले अपराधों के बारे में जानते थे।

[संदर्भ लें:- (1.) रानी बनाम साबिद अली और अन्य:1873 एससीसी ऑनलाइन कैल 64; (2.) शंभू नाथ सिंह और अन्य। बनाम बिहार राज्य:ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 725; (3) मसालटी बनाम यू. पी. राज्य :ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 202; (4) भूदेव मंडल और अन्य बनाम बिहार राज्य:(1981) 2 एस. सी. सी. 755; (5) महाराष्ट्र राज्य बनाम काशीराव और अन्य :(2003) 10 एस. सी. सी. 934; (6) विनूभाई रणछोडभाई पटेल बनाम राजीवभाई दुदाभाई पटेल और अन्य। :(2018) 7 एस. सी. सी. 743 और (7) नरेश उर्फ नेहरू बनाम हरियाणा राज्य:(2023) 10 एस. सी. सी. 134]

54. जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है, अपराध का दोनों तत्व गायब है।

55. केवल अपीलार्थी/भरत राय पेड़ काट रहे थे। उद्देश्य पेड़ को काटने के बाद लकड़ी को अपने कब्जे में लेना रहा होगा। जब अन्य अपीलार्थी दो अपीलार्थी के आह्वान पर पहुंचे, तो वे अपने हाथों में कोई घातक हथियार लेकर नहीं आए थे। उन्हें पता नहीं था कि पेड़ की कटाई पर मृतक द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।

56. इस प्रकार, न तो मृतक की हत्या का एक साझा उद्देश्य है और न ही किसी आरोपी व्यक्ति को इस तथ्य के बारे में पता है कि मृतक को उसके नेतृत्व में विरोध के कारण मार दिया जाएगा।

57. हम जानते हैं कि एक वस्तु का केवल मानव मस्तिष्क में ही मनोरंजन किया जाता है और जिसके बारे में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता है और इसलिए, जैसा कि इरादे के मामले में है, ऐसी वस्तु को आम तौर पर उस कार्य से एकत्र किया जाना चाहिए जो व्यक्ति करता है और उससे प्रकट होते परिणाम।

58. हम यह भी जानते हैं कि कोई पक्का नियम उन परिस्थितियों में निर्धारित किया जा सकता है जिनसे सामान्य वस्तु को चुना जा सकता है। इसे केवल प्रत्येक मामले के तथ्यों से ही समझा जा सकता है।

59. यह कहने के बाद और यह पाते हुए कि गैरकानूनी सभा का कोई सामान्य उद्देश्य नहीं था, हम भा.दं.सं.की धारा 149 के तहत सभी अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को अनुचित पाते हैं।

60. संबंधित अपीलार्थियों के खिलाफ आरोप पर वापस आते हुए, हमने पाया है कि जहां तक मृतक की हत्या करने के उसके इरादे का संबंध है, अपीलार्थी/प्रदीप राय के खिलाफ आरोप पूरी तरह से साबित नहीं हो सका है।

61. डॉ. शैलेंद्र कुमार वर्मा (अभि.साक्षी7) के बयान का उल्लेख करते हुए, जिन्होंने *पोस्टमॉर्टम* किया था, और मध्य खोपड़ी पर केवल एक कटा हुआ घाव पाया था, लेकिन जिसने हड्डी के नीचे मेनिन्जेस को नुकसान पहुंचाया था और बाईं आंख के आसपास सूजन और चोट लगी थी और बाईं जांघ पर चोट लगी थी, हम नहीं पाते हैं कि अभि. साक्षी 9 या उस मामले के लिए अर्थात्, अभि. साक्षियों 3, 5 और 8 और 14 ने हमले की तीव्रता के वास्तविक विवरण के बारे में कोई सही बयान दिया। मौत का कारण सिर की चोट के कारण गंभीर रक्तस्राव और सदमा माना गया था जो आगे एक तेज हथियार और कठोर और कुंद पदार्थ के कारण भी हुआ था।

62. हमारे अनुमान में प्रतिवेदन बहुत भ्रामक है।

63. डॉक्टर को विशेष रूप से बताना चाहिए था कि क्या मध्य-खोपड़ी पर चोट एक तेज काटने वाले हथियार या कठोर और कुंद पदार्थ से थी। यह तभी था जब हम सबूत के माध्यम से इसकी जांच कर सकते थे कि हथियार के तेज या कुंद हिस्से का इस्तेमाल किया गया था या नहीं।

64. अभि साक्षी 7 ने *पोस्टमार्टम* कराने में एक स्थानीय सफाईकर्मी की मदद लेने की बात स्वीकार की है। एक बार फिर, एक विशिष्ट प्रश्न पर, उन्होंने निचली अदालत के समक्ष जवाब दिया है कि उन्होंने मृतक को अपनी बाईं आंख में अंधा नहीं पाया था।

65. मृतक की हत्या करने का कोई इरादा इस तरह के *पूर्व-शव परीक्षण* चोटों से नहीं लिया जा सकता है।

66. हत्या की परिभाषा पर वापस आते हुए, सिर जैसे शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर एक ठोस हमला भा.दं.सं. की धारा 300 की शरारत को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है क्योंकि इस तरह का हमला करने वाले व्यक्ति से हत्या करने या ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने का इरादा रखने की उम्मीद की जाएगी जो निश्चित रूप से सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु का कारण बन सकती है। लेकिन फिर, इसका परीक्षण उन परिस्थितियों से किया जाना चाहिए जिनमें हमला किया गया था।

67. कहा जाता है कि मृतक ने अपीलार्थी/भरत राय द्वारा पेड़ की कटाई पर आपत्ति जताई थी। इससे वह क्रोधित हो गया और उसने मदद के लिए पुकारा। भीड़ की ओर से हत्या के लिए कुछ प्रबोधन किए गए। उस परिस्थिति में, अपीलार्थी/भरत राय द्वारा मृतक पर एक प्रहार किया गया था, जो घातक साबित हुआ।

68. क्या उसकी हत्या करने की मंशा थी?

69. अगर उनके पास होता, तो उन्होंने हथियार के तेज धार का इस्तेमाल किया होता। उन्होंने प्रहार को दोहराया होता।

70. हमने पाया है और पहले के पैराग्राफ में भी नोट किया है कि कोई पूर्व-मनन नहीं था। यह एक अचानक लड़ाई थी। अपीलार्थी/भरत राय किंकर्तव्यविमूढ़ थे। इसलिए, मृतक के सिर पर एक हमला भावना के आवेग में किया गया था। अपीलार्थी/भरत राय द्वारा मैदान में खड़े एकमात्र विरोधी (मृतक) का कोई विशेष लाभ नहीं उठाया गया था।

इस बात की संभावना हो सकती है कि अपीलार्थी का कभी भी मृतक को मारने का इरादा नहीं था।

71. अतः हमारी सुविचारित राय है कि अपीलार्थी/ प्रदीप राय का मामला भा.दं.सं. की धारा 300 के अपवाद-4 में आएगा, जिससे उसके द्वारा किए गए अपराध को गैर इरादतन हत्या माना जाएगा, जो भा.दं.सं. की धारा 304 के तहत दंडनीय है।

72. अपीलार्थी/भरत राय के खिलाफ आरोप, मृतक की आँखों में लगी चोटों के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है। हालाँकि मृतक के शरीर के एक महत्वपूर्ण हिस्से में और उसके आसपास एक नुकीले हथियार से चोट का अपराध, उसे अंधा करने के किसी भी इरादे के बिना, हमारे अनुमान में, भा.दं.सं. की धारा 326 के तहत आएगा।

73. बाकी अपीलार्थियों के खिलाफ, घायल गवाहों द्वारा भी उनकी संबंधित भूमिकाओं के बारे में कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। हालाँकि, इस तरह के बयानों पर विश्वास करते हुए कि वे वहाँ थे और लड़ाई में भी भाग लिया था, हमने घायल व्यक्तियों की चोट की रिपोर्ट का उल्लेख किया है और पाया है कि उन सभी को केवल साधारण चोटें आई हैं।

74. डॉ. ब्रजेश शरण (अभि. साक्षी 10) के बयान का संदर्भ इस बात की पुष्टि करता है कि ऐसे गवाहों के व्यक्तियों पर चोटें केवल मामूली थीं जो उनमें से किसी को भी गंभीर चोट पहुँचाने के इरादे से नहीं हो सकती थीं।

75. हमने नोट किया है कि उन्होंने मृतक या किसी और को मारने या घायल करने का कोई सामान्य उद्देश्य साझा नहीं किया। इस प्रकार, अधिक से अधिक, अन्य अपीलार्थी भा.दं.स. 76 की धारा 323 के तहत अपराध का दोषी होगा।

76. इसलिए, हम अपीलार्थी/प्रदीप राय [2017 का अपराधिक अपील (खं.पी.) सं.1207] के दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 304, भाग एक के तहत एवं अपीलार्थी/भरत राय[2017 का अपराधिक अपील (खं.पी.) सं.1174] को भा.दं.सं. की धारा 326 में परिवर्तित करते हैं।

77. शेष अपीलार्थियों अर्थात् चन्देश्वर राम एवं रामनाथ राय की दोषसिद्धि [2017 का अपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 1174] अमरदीप राय उर्फ अमरदीप राय एवं गुला राय [2017 की अपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 1174] एवं राम भाग राय, विजय राय, दिलीप राय अशोक राय एवं रंजीत राम [2017 कर अपराधिक अपील (खं.पी.) संख्या 1173] को केवल भा.दं.सं की धारा 323 के तहत परिवर्तित किया जाता है।

78. अपीलार्थी/प्रदीप राय को सात साल और दो महीने जेल में रहने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

79. यह ध्यान में रखते हुए कि घटना वर्ष 2014 की है और अपीलार्थी/प्रदीप राय की कार्रवाई में कोई असाधारण भ्रष्टा नहीं दिखाई दी है, हम मानते हैं कि हिरासत की अवधि जिससे वह पहले ही गुजर चुका है, न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा।

80. इसलिए हम अपीलार्थी/प्रदीप राय की सजा को उस अवधि के लिए सजा में बदल देते हैं जो वह पहले ही हिरासत में बिता चुका है।

81. अपीलार्थी/भरत राय बहुत लंबे समय से जेल में है। अपीलार्थी/भरत राय जिस अभिरक्षा अवधि से पहले ही गुजर चुके हैं, वह भा.दं.सं. की धारा 326 के तहत अपराध के लिए उस पर लगाई गई सजा होगी।

82. बाकी अपीलार्थियों की अभिरक्षा की अवधि, मुकदमे से पहले और बाद में, भा.दं.सं. धारा 323 के तहत अपराध के लिए उन पर लगाई गई सजा होगी।

83. इस प्रकार, सभी अपीलार्थियों को ऊपर बताए गए हद तक आंशिक रूप से अनुमति दी जाती है।

84. अपीलार्थी/भरत राय [2017 की अपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 1174], जो जेल में है यदि किसी अन्य मामले में उसकी हिरासत की आवश्यकता न हो, उसे तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

85. बाकी अपीलार्थी जमानत पर हैं। उन्हें उनके जमानत-बंध के तहत उनकी देनदारियों से मुक्त कर दिया जाता है।

86. इस फैसले की एक प्रति अनुपालन और रिकॉर्ड के लिए संबंधित जेल के अधीक्षक को तुरंत भेजी जाए।

87. इन मामलों के अभिलेखों को तुरंत विचारण न्यायालय को वापस कर दिया जाए।

88. अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हो, का भी तदनुसार निपटारा किया जाता है।

(आशुतोष कुमार, न्यायमूर्ति)

(नानी तागिया, न्यायमूर्ति)

प्रवीण-द्वितीय/मनोज

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।